

चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1307/10 रकबा 0.1700 हैक्टयर किरम चाही प्रथम, नम्बर 1307/11 रकबा 0.1700 हैक्टयर किरम चाही प्रथम खसरा नम्बर 7/13 रकबा 0.1700 हैक्टयर किरम चाही प्रथम खसरा नम्बर 1307/14 रकबा 0.00 हैक्टयर किरम चाही प्रथम खसरा नम्बर 1307/15 रकबा 0.5747 हैक्टयर चाही प्रथम खसरा नम्बर 1307/17 रकबा 0.5747 हैक्टयर किरम चाही प्रथम नम्बर 1307/18 रकबा 0.5747 हैक्टयर किरम चाही प्रथम खसरा नम्बर 17/19 रकबा 0.5747 हैक्टयर किरम चाही प्रथम खसरा नम्बर 1307/2 रकबा 151 हैक्टयर किरम चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1307/20 रकबा 0.5747 हैक्टयर म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1307/22 रकबा 0.2509 हैक्टयर किरम चाही प्रथम रा नम्बर 1307/23 रकबा 0.2509 हैक्टयर किरम चाही प्रथम खसरा नम्बर 07/23 रकबा 0.6151 हैक्टयर किरम चाही प्रथम खसरा नम्बर 1307/4 रकबा 151 हैक्टयर किरम चाही प्रथम खसरा नम्बर 1307/8 रकबा 0.4532 हैक्टयर म चाही प्रथम खसरा नम्बर 1307/9 रकबा 0.4937 हैक्टयर किरम चाही प्रथम, रा नम्बर 1307 रकबा 0.6151 किरम चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1307/1 रकबा 5151 हैक्टयर किरम चाही प्रथम खसरा नम्बर 1307/12 रकबा 0.1700 हैक्टयर म चाही प्रथम खसरा नम्बर 1307/16 रकबा 0.5747 हैक्टयर किरम चाही प्रथम मरा नम्बर 1307/09 रकबा 0.2509 हैक्टयर किरम चाही प्रथम खसरा नम्बर 307/24 रकबा 1.9911 हैक्टयर किरम चाही प्रथम खसरा नम्बर 1307/6 रकबा 4532 हैक्टयर जिसके प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है तथा उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 1310 रकबा 4.8158 हैक्टयर के साथ परस्पर पर मा बनाती है। अतः उभयपक्ष के मध्य वास्तविक सीमा रेखा की स्थिति को लेकर वाद होने से इन्कार नहीं किया जा सकता। खातेदारान् के मध्य आराजी को लेकर इसी प्रकार का सीमा विवाद न हो इसके लिए यह आवश्यक है कि काश्तकारों को नकी खातेदारी भूमि की सीमाओं का सही-सही ज्ञान हो। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 128 में प्रावधान है कि काश्तकारों के मध्य सीमा-विवादों का निस्तारण धारा 111 में विहित प्रक्रिया से किया जावे। अतः हम प्रार्थना-पत्र, प्रार्थीगण स्वीकार करना विधिसंगत समझते हैं।

--: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि ग्राम निमाज द्वितीय, तहसील-जैतारण, जिला-ब्यावर में स्थित प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 1301/1 रकबा 08417 हैक्टयर किरम चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1301/2 रकबा 0.8417 हैक्टयर किरम चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1301/3 रकबा 0.5261 हैक्टयर किरम चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1302/1 रकबा 0.5261 हैक्टयर किरम चाही प्रथम खसरा नम्बर 1307/10 रकबा 0.1700 हैक्टयर किरम चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1307/11 रकबा 0.1700 हैक्टयर किरम चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1307/13

0.1700 हैक्टयर किरम चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1307/14 रकबा 0.1700 र किरम चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1307/15 रकबा 0.5747 हैक्टयर किरम प्रथम, खसरा नम्बर 1307/17 रकबा 0.5747 हैक्टयर किरम चाही प्रथम, खसरा र 1307/18 रकबा 0.5747 हैक्टयर किरम चाही प्रथम, खसरा नम्बर 17/19 रकबा 0.5747 हैक्टयर किरम चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1307/2 रकबा 151 हैक्टयर किरम चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1307/20 रकबा 0.5747 हैक्टयर म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1307/22 रकबा 0.2509 हैक्टयर किरम चाही प्रथम, रा नम्बर 1307/23 रकबा 0.2509 हैक्टयर किरम चाही प्रथम, खसरा नम्बर 07/23 रकबा 0.6151 हैक्टयर किरम चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1307/4 रकबा 151 हैक्टयर किरम चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1307/8 रकबा 0.4532 हैक्टयर म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1307/9 रकबा 0.4937 हैक्टयर किरम चाही प्रथम, मरा नम्बर 1307 रकबा 0.6151 किरम चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1307/1 रकबा 0.6151 हैक्टयर किरम चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1307/12 रकबा 0.1700 टयर किरम चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1307/16 रकबा 0.5747 हैक्टयर किरम की प्रथम, खसरा नम्बर 1307/09 रकबा 0.2509 हैक्टयर किरम चाही प्रथम, खसरा न्बर 1307/24 रकबा 1.9911 हैक्टयर किरम चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1307/6 रकबा 0.4532 हैक्टयर एवं अप्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 1310 रकबा 4.8158 हैक्टयर किरम गै.मु. रास्ता के खातेदारान के मध्य राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा वाद का निस्तारण करें, प्रार्थीगण के हर्जे खर्चे से उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा-विभाजक रोपित करावें। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त गर्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। त्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।



निर्णय आज दिनांक 04/03/2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं पट्टेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं पट्टेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पट्टेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)